स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 386, दिनांक 29–12–2024

सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला शशिभूषण उपाध्याय जनपद बलिया से गिरफ्तार।

दिनांक 29–12–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले शशिभूषण उपाध्याय को जनपद बलिया से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

शशिभूषण उपाध्याय पुत्र स्व0 बृजकिशोर उपाध्याय निवासी डुहीमुसी चॉदपुर थाना बांसडीह जनपद बलिया (उ0प्र0) हाल पता–67 डी0एच0 रोड अजन्ता सिनेमा बेहला पो0 सातुरी शाहपुर कोलकाता।

बरामदगीः–

1– 01 अदद मोबाइल फोन।
2– 04 अदद कूटरचित निवास प्रमाण पत्र।
3– नगद–रूपये 1200/–

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

जनपद बलिया के थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत जमुआ गांव के पास। दिनांक 29–12–2024

सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमो/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में एसटीएफ फील्ड इकाई, वाराणसी द्वारी अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में दिनांक 29–12–2024 को निरीक्षक श्री पुनीत परिहार के नेतृत्व में एक टीम जनपद बलिया में भ्रमणशील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला शशिभूषण उपाध्याय कोलकाता में रहता है, जो ग्राम जमुआ थाना क्षेत्र कोतवाली, जनपद बलिया में किसी से मिलने आने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहॅुचकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए शशिभूषण उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह जनपद बलिया का रहने वाला है। इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त किया है। इण्टरमीडिएट पास होने के पश्चात इसे पता चला कि सेना में प0बंगाल सहित पूर्वोत्तर राज्यों के मूल निवासियों की मेरिट अन्य राज्यों की तुलना में कम होने पर भी विशेष नियम के तहत भर्ती हो जाती है। इस पर वर्ष–2000 में इसने अपना फर्जी पश्चिम बंगाल का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर सेना में भर्ती हो गया।

फतेहपुर (उ0प्र0) ट्रेनिंग सेण्टर में प्रशिक्षण लेने लगा। उसके निवास प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन सेना द्वारा नियमानुसार कराया जा रहा था। इसे आशंका हो गया कि इसके फर्जी निवास प्रमाण पत्र की जानकारी सेना को हो सकती है। इस शंका के आधार पर यह अपना प्रशिक्षण बीच में ही छोडकर घर भाग गया। कुछ समय के उपरान्त यह नौकरी की तलाश करता रहा, परन्तु कहीं पर नौकरी न मिलने पर स्वयं नौकरी के नाम पर ठगी

करने लगा और जनपद बलिया और आस–पास में लोगों को अपने झांसे में लेकर कि प0बंगाल का निवास प्रमाण पत्र बनवाकर उन्हें कम मेरिट होने पर भी सेना में भर्ती करा देने का आश्वासन देकर ठगी करने लगा। यह बलिया के साथ–साथ 67 डी0एच0 रोड अजन्ता सिनेमा बेहला पो0 सातुरी शाहपुर कोलकता (प0बंगाल) में रहने लगा। प्रति व्यक्ति 03 से 04 लाख रूपये लेता था। इसके उपरान्त प0बंगाल के अपने परिचित स्थानीय लोगों को पैसे का लालच देकर उनसे शपथ पत्र लिखवा लेता था कि अमुक व्यक्ति उनके यहॉ 15 वर्षों से अधिक समय से रहता है। इसके उपरान्त स्थानीय सभासद को भी पैसे का लालच देकर उससे संबंधित के निवासरत होने का प्रमाण पत्र ले लेता था। उक्त दोनों कूटरचित अभिलेखों के आधार पर यह स्थानीय तहसील आदि से संबंधित का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता था और इसी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर उसी पते का आधार कार्ड भी बनवा लेता था। इसी कूटरचित निवास प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी दिलाने का प्रयास करने लगता था। नौकरी न मिलने पर जब संबंधित द्वारा पैसा वापस मांगा जाता था तब यह जनपद बलिया से लेकर प0बंगाल तक लुकछिप कर रहने लगता था और पैसा वापस करने में टालमटोल करने लगता था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर, जनपद वाराणसी पर मु0अ0सं0 634/2024 धारा 318(4), 336(3), 340, 61(2) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।